न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

1. अपील संख्या 2025/41(प्राथमिक डिक्री) दायरा दिनांक : 03.03.2025

उनवान

1. चन्दालाल पुत्र गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
2. धन्नालाल पुत्र गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
3. कस्तूरी बाई पुत्री गोपाल पत्नि कल्याणदास, गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, हाल निवासी नारेडा तहसील बारां, जिला बारां (राज.)
4. जगन्नाथी बाई पुत्री गोपाल पत्नि शान्तीलाल जाति बैरागी निवासी खल्दा हाल निवासी मोतीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1 कन्हैयालाल पुत्र गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां (राज.)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2025/42(अंतिम डिक्री) दायरा दिनांक : 03.03.2025

उनवान

1. चन्दालाल पुत्र गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
2. धन्नालाल पुत्र गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
3. कस्तूरी बाई पुत्री गोपाल पत्नि कल्याणदास, गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, हाल निवासी नारेडा तहसील बारां, जिला बारां (राज.)
4. जगन्नाथी बाई पुत्री गोपाल पत्नि शान्तीलाल जाति बैरागी निवासी खल्दा हाल निवासी मोतीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां (राज.)

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित श्री राधावल्लभ नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 06.08.2025

1. ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 43/2013 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.09.2015 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।
3. दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 के संयुक्त कब्जे व खातेदारी की आराजी खाता संख्या नई 6 पुरानी 5 खसरा नं. 218/3 रकबा 15 बीघा ग्राम खल्दा, पटवार हल्का छतरगंज, तहसील किशनगंज में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.09.2015 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.05.2016 से वादी का वादपत्र डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।
4. इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं निर्णय दिनांक 30.09.2015 एवं डिक्री दिनांक 30.09.2015 एवं अन्तिम डिक्री व निर्णय दिनांक 11.05.2016 न्यायिक कानून एवं तथ्यों से सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2014 को अपीलान्टस् के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है जिस कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी जांच नहीं की कि अपीलान्टस् की समुचित तामील नहीं हुई है तथा फर्जी तामील के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णय व डिक्री जारी कर तथा एक पक्षीय बंटवारा स्कीम बनाकर फाईनल डिक्री जारी करके विवादित आराजी का बंटवारा कर दिया है जिससे अपीलान्ट को अपूर्णनीय क्षति हुई है तथा अपने हक हकूकों पर कुठाराघात हुआ है तथा अपीलान्टस् को सुनवाई का अवसर नहीं देने से अपीलान्ट्स अपना पक्ष पेश करने से वंचित हो गये है तथा अपीलान्टस् को सुनवाई का अवसर व जवाबदेही का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे अपीलान्ट्स को अपने हकूकों का नुकसान हो गया है, इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। विवादित आराजी ग्राम खल्दा, पटवार मण्डल, छत्रगंज खसरा नम्बर 218/3 रकबा 15 बीघा हाल खसरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नम्बर 333 रकबा 2.43 हेक्टर स्थित है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30/09/2015 व अंतिम डिक्री दिनांक 11/05/2016 अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जाने की कृपा करें।

5. दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.02.2025 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।
6. दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।
7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की है। हम प्रतिवादी थे हमें प्रोपर तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन दिनांक 09.04.2014 पर फर्जी हस्ताक्षर हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया जिसकी जानकारी हमें नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय में हमारे द्वारा नियुक्त अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। अतः निर्णय व डिक्री खारिज की जाये तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हमें सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाये।
8. अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।
10. अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11. ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
12. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।
13. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज में वादी/रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण एक वाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम खल्दा तहसील किशनगंज के खाता संख्या नई 6 पुरानी 5 खसरा नं. 218/3 रकबा 15 बीघा आराजी अवस्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 के मध्य आपसी सहमति से 15 साल पूर्व बंटवारा मौखिक रूप से हो चुका है और बंटवारे के मुताबिक प्रतिवादी कम 3 व 4 ने वादग्रस्त आराजी में से कोई हिस्सा व अधिकार नहीं लिया है। वादग्रस्त आराजी 15 बीघा में से 5 बीघा पर वादी, 5 बीघा पर प्रतिवादी कम 1 एवं 5 बीघा पर प्रतिवादी कम 2 काबिज काश्त है। प्रतिवादी कम 3 व 4 अपनी सहमति से राजस्व रिकार्ड में से नाम हटाना चाहती है और कोई भी हिस्सा नहीं लेना चाहती है। संयुक्त खाता होने के कारण वादी अपने हिस्से 1/3 का उपयोग व उपभोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर पाने के कारण उक्त वर्णित आराजी में से अपना हिस्सा 1/3 का बंटवारा राजस्व रिकार्ड में से पृथक करवाना चाहता है। अतः वादी का 1/3 हिस्सा पृथक कर जमाबंदी में अंकन व नक्शे में तरमीम किया जावे। प्रतिवादी की इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के हिस्से 1/3 भूमि के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे।
14. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज ने अपने निर्णय दिनांक 30.09.2015 से प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि ग्राम खल्दा तहसील किशनगंज की खसरा नं. 218/3 रकबा 15 बीघा में से वादी का हिस्सा 1/5 पृथक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार किशनगंज का आदेश दिये जाते है कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 सहमत हो तो सहमति के आधार पर अच्छी मे अच्छी एवं बुरी में से बुरी वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 का कमशः 1/5, 2/5, 2/5 हिस्सा भूमि का बंटवारा स्कीम तैयार कर भिजवावे।
15. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज के निर्णय दिनांक 30.09.2015 से प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार किशनगंज द्वारा दिनांक 11.05.2016 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये जाने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2016 को अंतिम डिक्री जारी कर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आदेश पारित किया कि ग्राम खल्दा तहसील किशनगंज 218/3 की पूर्वी 3.00 बीघा भूमि कन्हैयालाल पुत्र गोपाल, खसरा नं. 218/3 की दक्षिण पश्चिमी की 6.00 बीघा धन्नालाल पुत्र गोपाल, खसरा नं. 218/3 की उत्तर पश्चिमी की 6.00 भूमि चन्दालाल पुत्र गोपाल के खाते दर्ज कर पृथक पृथक दर्ज किये जावे।

16. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.09.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.05.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलांट/प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 द्वारा न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 2024/41 (प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध) एवं प्रकरण संख्या 2024/42 (अंतिम डिक्री के विरूद्ध) से दिनांक 03.03.2025 को अपील दायर कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने फर्जी तामील के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट को सुनवाई को समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा एक पक्षीय विभाजन स्कीम बनाकर फाइनल डिक्री जारी कर दी गयी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.09.2015 व अंतिम डिक्री दिनांक 11.05.2016 निरस्त किये जाय।

17. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 ग्राम खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां प्रदर्श पी–1 के अनुसार खसरा नं. 218/3 रकबा 15.00 बीघा आराजी कन्हैयालाल, चन्दालाल, धन्नालाल पुत्र गोपाल, कस्तुरीबाई, जगन्नाथी बाई पुत्रियां गोपाल हिस्सा बराबर, जाति बैरागी साकिन देह दर्ज रिकार्ड है। इसी जमाबंदी में नामान्तरकरण सं. 595 दिनांक 18.11.2013 से जरिये हकत्याग सहखातेदार जगन्नाथी बाई पुत्री गोपाल बैरागी के स्थान पर सहखातेदार चन्दालाल पुत्र गोपाल का नाम दर्ज हुआ है एवं नामान्तरकरण सं. 631 दिनांक 27.09.2014 से जरिये हक त्याग सहखातेदार कस्तुरी बाई पुत्री गोपाल बैरागी के स्थान पर सहखातेदार धन्नालाल पुत्र गोपाल का नाम दर्ज हुआ है।

18. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार प्रतिवादी कम 1, 2 व 4 को न्यायालय में दिनांक 02.09.2013 को उपस्थित होने के लिए जारी प्रथम सम्मन की तामील प्रतिवादी कम 1 के पुत्र पर करवायी गई है। दिनांक 02.09.2013 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए प्रतिवादी कम 3 को सम्मन जारी होने की पुष्टि पत्रावली के अवलोकन से नहीं होती। दिनांक 09.04.2014 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी प्रतिवादी कम 1, 2 व 4 के सम्मन पर प्रतिवादीगण के स्वयं के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी अंकित है। दिनांक 09.04.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी द्वितीय सम्मनों के अवलोकन से भी प्रतिवादी कम 3 को सम्मन जारी होने की पुष्टि पत्रावली के अवलोकन से नहीं होती परन्तु प्रतिवादी कम 3 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी अपीलांट धन्नालाल के पक्ष में हक त्याग किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधित वादपत्र के अनुसार वादी का वाद स्वीकार करते हुए

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जो निर्णय पारित किया है वह प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2067–2070 के अनुसार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय से वादी को 1/5 हिस्सा अर्थात 3 बीघा आराजी दी है और प्रतिवादी कम 1 व 2 को 2/5, 2/5 हिस्सा अर्थात 6, 6 बीघा आराजी का खातेदार घोषित किया है। प्रतिवादी अपीलांट 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रतिवादी अपीलांट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2067 से 2070 प्रदर्श पी–1 के अनुरूप है, अतः अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2025/41 सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

19. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2025/42 में भी तामील को फर्जी बताकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री को खारिज करने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी अपीलांट की तामील के सन्दर्भ में विस्तृत विवेचन पैरा नं. 18 में किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में भी ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री से अपीलांट के हित किस प्रकार प्रभावित होते हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.05.2016 के विरूद्ध लगभग 9 साल बाद प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2025/41 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री एवं 2025/42 विरूद्ध अंतिम डिक्री सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.09.2015 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 11.05.2016 यथावत रखी जाती हैं।

21. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2025/41 (प्राथमिक डिक्री)

1. चन्दालाल पुत्र गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
2. धन्नालाल पुत्र गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
3. कस्तूरी बाई पुत्री गोपाल पत्नि कल्याणदास, गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, हाल निवासी नारेडा तहसील बारां, जिला बारां (राज.)
4. जगन्नाथी बाई पुत्री गोपाल पत्नि शान्तीलाल जाति बैरागी निवासी खल्दा हाल निवासी मोतीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)

..... अपीलांट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां (राज.)

..... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2025/42 (अंतिम डिक्री)

1. चन्दालाल पुत्र गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
2. धन्नालाल पुत्र गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
3. कस्तूरी बाई पुत्री गोपाल पत्नि कल्याणदास, गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, हाल निवासी नारेडा तहसील बारां, जिला बारां (राज.)
4. जगन्नाथी बाई पुत्री गोपाल पत्नि शान्तीलाल जाति बैरागी निवासी खल्दा हाल निवासी मोतीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)

..... अपीलांट

1. कन्हैयालाल पुत्र गोपाल, जाति बैरागी, निवासी खल्दा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां (राज.)

.....रेस्पोडेंट

अपील न **2025/41 (प्राथमिक डिक्री) एवं 2025/42 (अंतिम डिक्री)** एवं नाराजगी डिक्री अदालत– **उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज**
मु.द.न0 **43/2013** **निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक – 30.09.2015**
अतिंम डिक्री दिनांक – 11.05.2016

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **09 माह 07 सन् 2025**

उपस्थित **श्री राधावल्लभ नागर** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2025/41 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री एवं 2025/42 विरूद्ध अंतिम डिक्री सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.09.2015 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 11.05.2016 यथावत रखी जाती हैं।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **06 माह 08 सन् 2025** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)